आदेश दिनांक–31.01.2024

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 03.11.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट रामलाल व श्योजी के साथ दिनांक 12.07.2022 को जवाब पेश कर दिया बावजूद जवाब पेश करने एवं बहस के अनेको बार मौके दिये जाने के बावजूद स्थगन निरस्त न करने पर लगातार पेशियॉ दी जाती रही है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस के हकूको की रक्षार्थ उक्त आदेश दिनांक 13.10.2020 की पालना न होने से डीले कण्डोन के आवेदन के साथ यह अपील पेश की जा रही है। स्थगन दिनांक 13.10.2020 को जारी किया गया था जिसके बावजूद जवाब व बहस के मौके दिये जाने डिले उक्त आदेश निरस्त नहीं किया गया अपीलांट को उक्त देरी अन्तरिम स्थगन आदेश जो सशर्थ जारी किया गया था के विश्वास के कारण हुई, अतः न्यायहित में दिनांक 13.10.2020 से अपील पेश करने तक अवधि कण्डोन किया जाना न्याय संगत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र हस्ब दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त डिले कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने की आज्ञा प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीन मीमो में वर्णित तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत प्रकरण एवं तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन है। अपील के निस्तारण तक अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण बाहुबल के आधार पर प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त कृषि भूमि से बेदखल कर देगें तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की चेष्टा करेगे जिससे वाद बाहुल्यता होगी और न्याय व न्यायालय का भार बढ़ेगा, जिससे प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने में सुविधा का सन्तुलन निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित प्रकरण 85/2020 बउनवान झमरी बनाम रामलाल में पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.10.2020 सशर्त था तथा यह निर्देश दिया गया था कि अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस करने के लिए कहने पर वकील प्रार्थी कों अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एकपक्षीय स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। हमारे द्वारा दिनांक 12.7.2022 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया मगर बहस नहीं सुनी गई तथा लगातार पेशियां दी जाती रही। ऐसी स्थिति में अपने हितों की रक्षा करने हेतु आदेश दिनांक 13.10.2020 की पालना नहीं होने से देरी को क्षमा करने के साथ यह अपील पेश की गई है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय प्रोसिडिंग झमरी बनाम रामलाल प्रार्थना पत्र संख्या 85/2020 दिनांक 13.10.2020 से 14.2.2023 का अवलोकन किया गया दिनांक 13.10.2020 को रेस्पोडेंट झमरी के पक्ष में विवादित भूमियां ग्राम मोरडा तहसील दूदू बाबत राजस्व रिकार्ड मौके की यथास्थिति बनाए रखने का सशर्त आदेश दिया गया था। जो निम्नानुसार है– वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रथम दृष्टया पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मद नम्बर 02 की आराजीयात वाके ग्राम मोरडा तहसील दूदू जिला जयपुर की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावे।

न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 12.7.2022 का अवलोकन किया गया उक्त दिनांक को अप्रार्थी सख्या 1 से 3 व 10(वर्तमान अपीलांट, रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 एवं 19) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अगली तिथि दिनांक 20.7.2022 रखी गई 26.7.2022 पर वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया दिनांक 4.10.2022 को भी वकील प्रार्थी की ओर से बहस हेतु समय चाहा गया। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश की पालना नहीं करके बहस नही सुनी जाकर 212 के प्रार्थनापत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जा रहा। जो कि आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन हैं वकील अपीलांट द्वारा बहस में प्रस्तुत की गई जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम मोरडा खाता संख्या 409 का अवलोकन किया गया उक्त खाते में कुल 6 खसरा नम्बर 101,1141,1142,1143,1144,1145 कुल रकबा 5.09 है0 दर्ज है जिस बाबत अन्य खाता संख्याओं में दर्ज भूमियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिया है। खाता सख्या नया 409 में दर्ज ऊपर अंकित भूमियों के खातेदार गोपाल पुत्र श्योबक्स जाट हिस्सा 1/3, रामलाल पुत्र श्योबक्स जाट हिस्सा 1/3, श्योजीराम पुत्र श्योबक्स जाट हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज है।

स्पष्ट है कि नियमों व निर्देशों की पालना नहीं कर अंतरिम स्थगन आदेश को बढाया जाता रहा हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है, इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेंट उन्हें कब्जेकाश्तशुदा भूमि से बेदखल कर देंगे वाद बाहुलता बढेगी इस वजह से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट झमरी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के द्वारा दिनांकम 13.10.2020 कों अंतरिम अस्थाई स्थगन आदेश सशर्त जारी किया गया था दिनांक 12.7.2022 को हमारे द्वारा जवाब दे दिया गया था। दिनांक 20.7.2022 से पत्रावली बहस में लगी अब तक 212 के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के आदेश की पालना नहीं की है। हम रिकार्डेड खातेदार है रेस्पोडेंट यह कहकर आए कि 1996 में किसी डिक्री में यह नम्बर छूट गए थे यह उपकृषक भी नहीं है ना ही परिवार के सदस्य स्थगन आदेश की वजह से सरकारी सुविधाए आदि हम नहीं ले पा रहे हैं स्थगन हटाया जाए।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट खातेदार काश्तकार हैं और उनके विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। रमजूददीन एवं अन्य बनाम गणेशकुमार एवं अन्य 2009 (2)आरआरटी पेज 1398, मोहरपाल एवं अन्य बनाम प्रभुसिंह 2013(1)आरआरटी पेज 123, शांति बनाम जमुना एवं अन्य 2016(2)आरआरटी पेज 1106, जगदीशसिंह एवं अन्य बनाम रामकरण एवं अन्य 2012(1)आरआरटी पेज 232, एवं अनेकानेक न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दी गई है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, साथ ही जवाब प्राप्त होने के बाद भी 212 के प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया एवं खुद के आदेश की अनुपालना भी उनके द्वारा नहीं की गई जो गलत है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में न होकर अपीलांटगण के पक्ष में है और स्थगन आदेश की वजह से अपीलांट को असुविधा होना संभावित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू अंतर्गत प्रकरण संख्या 85/2020 झमरी वगैराह बनाम रामलाल वगैराह में दिनांक 13.10.2020 में दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को ग्राम मोरडा के खाता संख्या नया 409 में अंकित खसरा नम्बर कुल 6 खसरा नम्बर 101,1141,1142,1143,1144,1145 कुल रकबा 5.09 है0 बाबत अंतरिम रूप से

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी

स्थगित किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि आगामी चार सप्ताह में उभयक्ष को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

31.1.25

अपील प्राधिकारी